संख्याः 189 / XXIV-3/2006

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 28 मार्च,2006

विषयः माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न योजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/62691/पुनर्विनियोग/2005–06 दिनांक 08–03–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में संलग्न बी.एम. –15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में पुनर्विनियोग के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 71,000/– एवं आयोजनागत पक्ष में रू0 1,42,000/– इस प्रकार कुल रू0 2,13,000/– (रूपये दो लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आयोजनागत पक्ष की प्रश्नगत योजना में नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का दायित्व आपका होगा।

3– योजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

(1)– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति /स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2)– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3)— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4)— मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या— 11 के अधीन लेखा शीर्षक " 2202—सामान्य शिक्षा— 02 —माध्यमिक शिक्षा— के अधीन संलग्न बी. एम.—15 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/ सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 1240/ वित्त अनुभाग—3/2006 दिनांक 26—3—2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक— बी0एम0—15 प्रपत्र।

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्या 189 (1)/ XXIV—3/2006 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरॉंचल, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल— पौड़ी/ कुमायूँ मण्डल—नैनीताल।
5— समस्त जिलाधिकारी एवं कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 / नियोजन प्रकोष्ठ।
8— कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
10— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक— बी0एम0—15 प्रपत्र।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

नियंत्रक अधिकारी   शिक्षा सचिव   वित्तीय वर्ष- 2005-06   अनुदान संख्या 11   प्रशासनिक विभाग माध्यमिक शिक्षा

(धनराशि हजार रुपये में)

प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार आयव्ययिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	सम्भावित अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कालम 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (कालम-1-3)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
2202-सामान्य शिक्षा- 02- माध्यमिक शिक्षा- 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय - 91- राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण (जिला योजना) 31- अवकाश यात्रा व्यय- 500	0	348	152	2202-सामान्य शिक्षा- 02- माध्यमिक शिक्षा- 001- निदेशन तथा प्रशासन- 03-माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान- 06- अन्य भत्ते- 142	142		[illegible]
500	0	348	152	142	142	358	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1से)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
2202–सामान्य शिक्षा– 02– माध्यमिक शिक्षा– 001– निदेशन तथा प्रशासन– 03–माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान – 45– अवकाश यात्रा व्यय– 200	25	104	71	2202–सामान्य शिक्षा– 02– माध्यमिक शिक्षा– 001– निदेशन तथा प्रशासन– 03–माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान– 16–व्यावसायिक/ विशेष सेवाओं के लिए भुगतान – 08 17– किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व – 32 05–भाषा विकास 103–संस्कृत शिक्षा– 03–राजकीय संस्कृत पाठशाला 29– विद्युत देय– 11 2205 – कला एवं संस्कृति– 105–सार्वजनिक पुस्तकालय – 03–केन्द्रीय राजकीय पुस्तकालय– 29– विद्युत देय – 20	17 132 12 50		कारण–1 ... में आ ... मात मद ... होने के ... है। अतः ... की ... अस्थायित ... में अनुसा... की स्वीकृ... आवश्यक...
200	25	104	71	71	211		

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव